11/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.।

..... क्रम प्रा० पत्र 212

.....

पत्रावली दिनांक 01/8/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

01/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री करतार सिंह उप० / वकील प्रार्थी प्रार्थना 212 को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वकील प्रार्थी ने नोट पेज में प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फाइल शुमारी नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)